न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–086/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

दुर्योधन स्वाँसी वगैरह.......................आवेदक/विक्रेता } प्रथम पक्ष

आनन्द राम..क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार..द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
12.02.2024		

आदेश

आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती दुर्योधन स्वाँसी पिता/पति स्व0 बुड़का स्वाँसी वो 2. श्री/श्रीमती बिरसा स्वाँसी पिता/पति स्व0 मंगरा स्वाँसी दोनों का ग्राम–कालामाटी, पो0–फुदी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कालामाटी	216	78	1563	0.09

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती दुर्योधन स्वाँसी पिता/पति स्व0 बुड़का स्वाँसी वो 2. श्री/श्रीमती बिरसा स्वाँसी पिता/पति स्व0 मंगरा स्वाँसी दोनों का ग्राम–कालामाटी, पो0–फुदी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को महाजन देनदारों वो मकान निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती आनन्द राम पिता/पति स्व0 भोला राम ग्राम–तुबीद टोली, तपकरा, थाना–तपकरा, जिला–खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं0 0729025642 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 93 दिनांक 02.02.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम मलार स्वाँसी है। आवेदक पंजी II रैयत के

(4)

पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 59 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को महाजन देनदारों वो मकान निर्माण कार्य हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है एवं एक ही जिला के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक जिला के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 02/01 दिनांक 03.01.2024 के साथ उपायुक्त, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHSCH/2022/08021 दिनांक 18.10.2022 वो अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHRC/2017/1133812 दिनांक 05.09.2017 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा एक ही जिला के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 93 दिनांक 02.02.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती दुर्योधन स्वाँसी पिता/पति स्व0 बुड़का स्वाँसी वो 2. श्री/श्रीमती बिरसा स्वाँसी पिता/पति स्व0 मंगरा स्वाँसी दोनों का ग्राम–कालामाटी, पो0–फुदी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती आनन्द राम पिता/पति स्व0 भोला राम ग्राम–तुबीद टोली, तपकरा, थाना–तपकरा, जिला–खूँटी के साथ ग्राम कालामाटी के खाता सं0 78, खेसरा संख्या 1563, कुल रकबा 0.09 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

21/02/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.02 12:25:28 +05:30
Location: 192.168.1.104